समाहरणालय,कटिहार
(जिला कल्याण शाखा)

पत्रांक ..../कल्याण,दिनांक ....

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त,
कटिहार ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विशयः– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मीनू के अनुसार भोजनादि व्यवस्था हेतु निविदा प्रकाशन कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस जिला अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मीनू के अनुसार भोजनादि व्यवस्था के निमित्त राज्यस्तरीय दैनिक सामाचार पत्रों में निविदा प्रकाशन कराने की कृपा की जाय। सुलभ प्रसंग हेतु निविदा की प्रति संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक : यथोक्त

विश्वासभाजन,

ह0/-

उप विकास आयुक्त,
कटिहार।

ज्ञापांक 71/कल्याण दिनांक 23-01-19

प्रतिलिपि :– सरकार के सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः– उप निदेशक कल्याण पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ प्रेषित। निविदा की प्रति के साथ निदेश है कि प्रमुख हिन्दी एवं उर्दू समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित कराते हुए जिला स्तर पर वृहत रूप से प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को निविदा की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं निदेश है कि निविदा की प्रति जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

23/1/19

उप विकास आयुक्त,
कटिहार।

समाहरणालय,कटिहार

(जिला कल्याण शाखा)

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा संख्या–...02....../18–19

कटिहार जिला में संचालित बाबा साहेब डॉ० भीम राव अम्बेदकर आवासीय +2 आवासीय विद्यालय, सोनैली, कटिहार एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, नीमा, कटिहार में छात्रावासी छात्र/छात्राओं के लिए भोजन/जलपान की आपूर्ति हेतु निबंधित संस्थानों/स्वयंसेवी संस्था/केटरर से निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक संस्थान/स्वयंसेवी संस्था/केटरर निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक ...15/2/19... को ...5:00... बजे अपराह्न तक सील बन्द लिफाफे में निविदा जिला कल्याण कार्यालय, कटिहार में निबंधित डाक/कुरियर/स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त की जाएगी एवं दिनांक ...20/2/19... को अपराह्न 4:00 बजे उप विकास आयुक्त, कटिहार के समक्ष खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

क) तकनीकी निविदा :–

1. निविदा सील मोहर बंद लिफाफे में ली जाएगी।
2. निविदा के साथ पैन नं० तथा आयकर से संबंधित विगत तीन वर्षों का अद्यतन विवरणी दाखिल करने का साक्ष्य संलग्न करना होगा।
3. जी.एस.टी. (माल एवं सेवाकर) संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता की फौजदारी/दीवानी मामला एवं काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने संबंधी, नोटरी पब्लिक या कार्यपालक दण्डाधिकारी से शपथ पत्र मूल में देना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाताओं को मो० 50,000.00 (पचास हजार) रूपये अग्रधन की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा, जो जिला कल्याण पदाधिकारी, कटिहार के पदनाम से देय होगा।
6. निविदादाता को कम से कम तीन वर्षों का मेस संचालन हेतु कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

ख) वित्तीय निविदा :–

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा।
2. वित्तीय निविदा में भोजन (जलपान सहित) अंकित की गई दर वर्ग 1 से 5 तथा वर्ग 6 से 12 के लिए अलग–अलग प्रति छात्र एवं प्रति माह के अनुसार जी.एस.टी.

3. वित्तीय निविदा में अंकित की गई दर विभाग द्वारा निर्धारित न्युनतम दर से अधिक मान्य नहीं होगा। यदि निविदादाता द्वारा अंकित दर विभाग द्वारा मान्य दरों से अधिक होता है तो वैसी परिस्थिति में Negotiation किया जा सकता है।

अन्य शर्तें :–

1. विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में छात्र / छात्राओं को निर्धारित मीनू, जो निविदा के साथ संलग्न है, के अनुसार भोजन / जलपान उपलब्ध कराना होगा। समय–समय पर विभाग द्वारा निर्धारित मीनू में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसे लागू करना अनिवार्य होगा।
2. वर्त्तमान में निर्धारित मीनू निम्नवत् है :–

क)	नास्ता	दो दिन–पूरी + सब्जी दो दिन–कचौड़ी + सब्जी तीन दिन–फ्राईड राईस+छोला प्रत्येक दिन–गाय का दूध 150 मी०लि०
ख)	खाना	चावल + दाल + सब्जी + सलाद या पापड़ अथवा भुंजिया
ग)	शाम का नास्ता	तीन दिन–भरी हुई कचौरी / समोसा दो दिन– Boiled Egg + मौसमी फल दो दिन–फल मौसमी + भूँजा
घ)	रात्रि खाना	रोटी + सब्जी + दाल + खीर / सेवई
	विशेष भोजन	प्रत्येक माह में प्रत्येक रविवार – चिकेन शाकाहारी – पनीर (चिकेन के समतुल्य)

3. सफल निविददाता को निर्धारित मीनू के अनुसार कच्चे सामग्री, रसोईया तथा उपस्कर का स्वयं व्यवस्था अपने खर्च पर करना होगा।
4. निविदा में सफल उम्मीदवार को मेस संचालन हेतु सरकारी प्रावधान के अनुसार एकरारनामा करना होगा एवं कार्यादेश प्राप्त होते ही मेस संचालन का कार्य आरंभ करना होगा।
5. Sub-Contract मान्य नहीं होगा।
6. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं को जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
7. बिना कारण बताये निविदा को स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
8. कोई भी विवाद या दावा कटिहार जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा।

17/1/19 जिला कल्याण पदा०, कटिहार।	17/01/2019 जिला लेखा पदा० कटिहार।	जिला नजारत उप समा० कटिहार।	23/1/19 उप विकास आयुक्त कटिहार।